

प्रेषक,

वित्त नियन्त्रक,
पशुपालन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग,
अमेठी।

संख्या-
विषय:-

/बजट/29(5)/अनु०-15/24/2018-19

पं०दीन दयाल उपाध्याय बृहत् पशु आरोग्य शिविरो/मेलों(मण्डल स्तर पर)का आयोजन (रा०यो०) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये स्वीकृत धनराशि के ऑवटन के सम्बन्ध में।

दिनांक 9-10-2018

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-65/2018/1620/सैतीस-2-2018-1(25)/2017 टी सी११, दिनांक 19 अप्रैल, 2018 एवं शासनादेश संख्या-3094/सैतीस-2-2018-1(25)/2017, दिनांक 31-08-2018 के क्रम में पं० दीन दयाल उपाध्याय बृहत् पशु आरोग्य शिविरो/मेलों(मण्डल स्तर पर) का आयोजन(रा०यो०) योजनान्तर्गत निदेशक, प्रशासन एवं विकास के पत्र सं०-2039/प०-2/36/प०दी०३०बृ०प०आ०मे०/2018-19, दि० 08.10.2018 द्वारा दिये गये आदेशानुसार मु०प०चि० अधि०, फैजाबाद से विभिन्न मानक मदों में रू० 333000.00 (रूपये तीन लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि को वापस पुनर्ग्रहण करते हुए संलग्न एलामेंट ग्रिड रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपको पुनर्ऑवटित की जाती है। उल्लिखित शर्तों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। शर्तों से विचलन की दशा में आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

- (1) योजनान्तर्गत ऑवटित धनराशि का आहरण/व्यय करते समय शासनादेश संख्या-78/सैतीस-2-2018-1(25)/2017, दिनांक 17-01-2018 द्वारा निर्गत प्रश्नगत मेलों/शिविरो की वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्ययोजना का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (2) ऑवटित धनराशि का कोषागार से आहरण/उपयोग आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों से योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा।
- (3) ऑवटित धनराशि को किसी भी दशा में आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इसका व्यय अन्य मदों में न किया जाय।
- (4) मानक मद 04 एवं 15 में ऑवटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाय जिससे पेट्रोल/यात्रा भत्ता बीजक का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।
- (5) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (6) ऑवटित की जा रही धनराशि से योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ०प्र० भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ०प्र० प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स)-2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (7) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 दी गई शर्तों की पूर्ण तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- (8) ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1 2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दि० 30-03-2018 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195 दस-16/94, दि० 06-06-1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।
- (9) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-102-पशु भैस विकास-24-पं०दीन दयाल उपाध्याय बृहत् पशु आरोग्य शिविरो/मेलों (मण्डल स्तर पर) का आयोजन (रा०यो०) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- (10) ऑवटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि ऑवटन रजिस्टर के क्रम संख्या-24(अनु०-15) पर अंकित कर ली गई है।

संलग्नक: यथोपरि।


भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक।

संख्या- 704 /बजट/29(5)/अनु0-15/24/2018-19 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) वरिष्ठ/मुख्य कांषाधिकारी, अमेठी ।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-1)/लेखानुभाग,उ०प्र०, इलाहाबाद ।
- (3) अनुसचिव, पशुधन अनुभाग-2, उ०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- (4) निदेशक,प्रशासन एवं विकास,पशुपालन विभाग,उ०प्र०,लखनऊ ।
- (5) योजनाधिकारी अपर निदेशक(गो०वि०),मु० को निदेशक,प्रशासन एवं विकास के पत्र सं०-2039/प०-2/2018-19,दिनांक 08-10-2018 द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार ही धनराशि का ऑवटन किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से संबंधित आ०वि०अ० को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए व्यय की सघन समीक्षा कर स्थित से सं०नि०(नि०) को भी अवगत करने का कष्ट करें ।
- (6) अपर निदेशक ग्रेड-१,पशुपालन विभाग, फैजाबाद को प्रभावी कार्यवाही हेतु ।
- (7) संयुक्त निदेशक (नियोजन),मुख्यालय ।
- (8) कम्प्यूटर सुपरवाइजर,मु० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ऑवटन को विभागीय वेवसाइड पर फौड करने का कष्ट करें ।
- (9) व्यय सहायक, बजट अनुभाग, मुख्यालय ।


(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक ।
C.M.S.

Print Report
Aliotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-09/10/2018

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

784
004-29-5-ANU-15-24-2018-19
15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
2403 - पशु पालन (आयोजनेतर-मतदेय)


102 - पशु तथा भेस विकास
24 - पं० दीनदयाल उपध्याय वृहत पशु आरोग्य शिविरो/मेलों (मण्डल स्तर पर) का आयोजन (रा० यो०)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	02-मजदूरी	04-यात्रा व्यय	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	18-प्रकाशन	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
	अमेठी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी 4000	25000	18000	19000	47000	210000	10000	333000
	योग	वर्तमान प्रगामी 4000	25000	18000	19000	47000	210000	10000	333000

महायोग:- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग:- (प्रगामी आवंटन):-

रूपयः तीन सठ तैंतीस हजार
रूपया तीन सठ तैंतीस हजार


(ने. प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक
दि. 9/10/18